



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 608

दिनांक : ५/३/१७

प्रति,

प्राचार्य,

श्री गुरु सांदीपनि इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,  
ग्राम—सुरासा, आगर रोड, उज्जैन(म.प्र.)

**विषय :** विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

**संदर्भ :-** महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक / 157, दिनांक 10.04.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि, निर्णय लिया गया कि, श्री गुरु सांदीपनि इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उज्जैन, में सत्र 2017–18, एम.बी.ए.–द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017–18 में एम.बी.ए.–द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता निरीक्षण समिति द्वारा इगत कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर सशर्त प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुसोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :—

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	एम.बी.ए.–द्वितीय वर्ष	60

- शर्ते :-** 01. कॉलेज कोड 28 के तहत चार शिक्षकों की द्वितीय वर्ष के लिये नियुक्ति की जाना है।  
 02. 200 पुस्तकें क्रय किया जाना है।  
 03. कॉलेज पहुच मार्ग की मरम्मत किया जाना है।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसिंह